झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 500 राँची, बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 (ई०)

वित्त विभाग

अधिसूचना

21 सितम्बर, 2022

संचिका संख्याः-9/पें॰(6)-04/ 2022..148--वित्त विभागीय संकल्प सं॰ 143/वि॰पें॰ दिनांक 05-09-2022 के आलोक में दिनांक 01-12-2004 से दिनांक 31-08-2022 तक नई अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्त कर्मियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प या नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प का चयन शपथ पत्र के माध्यम से किया जाना है ।

2- पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करने वाले कर्मियों को Annexure-I में शपथ पत्र देना है ।

3- नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प चयन करने वाले कर्मियों को Annexure-II में शपथ पत्र देना है ।

4- विकल्प का चयन करने वाले कर्मियों को शपथ पत्र दिनांक 15-11-2022 तक जमा/Upload करना होगा । माह नवम्बर, 2022 का वेतन बिना एन॰पी॰एस॰/जी॰पी॰एफ॰ कटौती के नहीं होगी ।

5. नई अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्त कर्मियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प या नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प का चयन करने संबंधी प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश Annexure-III के रूप में है ।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

Annexure-I

पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने हेतु

शपथ-पत्र

मैं ...., पदनाम ...., कार्यालय का नाम- ...., विभाग का नाम- ...., वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-143/वि॰पे॰ दिनांक-05.09.2022 के आलोक में राज्य सरकार के निर्णयानुसार इस शपथ पत्र के माध्यम से निम्नांकित शर्त्तों पर अपनी स्वेच्छा से पूर्ण सहमति देते हुए अपने लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को स्वीकार करता हूँ :-

01. मैं पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित होना चाहता हूँ तथा इस आशय का शपथ-पत्र देता हूँ कि मुझे Standard Operating Procedure (SOP) की शर्त्तें मान्य हैं एवं मेरे द्वारा किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जायेगा ।

02- NSDL से सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मेरे वार्धक्य सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि मेरे द्वारा सरकारी कोष में जमा करने के उपरान्त ही मुझे पुरानी पेंशन योजना देय होगा । सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि का समायोजन मुझे मिलने वाले उपदान की राशि से भी किया जा सकेगा ।

03- NSDL से मेरे अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त न होने की स्थिति में मेरे द्वारा राज्य सरकर से इसका दावा नहीं किया जायेगा ।

04- नई अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत मेरे वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत अंशदान की कटौती माह सितम्बर, 2022 से समाप्त हो जायेगी तथा सामान्य भविष्य निधि के प्रावधानों के अनुसार मुझे प्राप्त होने वाले मूल वेतन (परिलब्धियों) से कटौती की जायेगी ।

05. NSDL से मेरे अंशदान की राशि राज्य सरकार को प्राप्त होने पर मूल राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज मुझे दे दिया जायेगा तथा मुझे मूल राशि को अपने सामान्य भविष्य निधि के खाते में जमा करने का विकल्प दिया जायेगा । उक्त राशि पर सामान्य भविष्य निधि के तहत ब्याज की गणना इस राशि के जमा करने की तिथि से की जायेगी ।

06. वित्त विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत लेखा संधारण, विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किया जायेगा एवं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के क्रम में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होने पर वित्त विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरण निर्गत किया जायेगा, जो मुझे मान्य होगा ।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

दिनांक- .... मोबाईल संख्या ....

Annexure-II

नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने हेतु

शपथ-पत्र

मैं .... पदनाम .... कार्यालय/विभाग का नाम .... वित्त विभागीय संकल्प संख्या 143 दिनांक 05.09.2022 के आलोक में स्वेच्छा से नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प चयन करता हूँ ।

दिनांक- .... कर्मचारी का हस्ताक्षर

मोबाईल संख्या ....

Annexure-III

वित्त विभागीय संकल्प संख्या 143 दिनांक 05.09.2022 के आलोक में एन॰पी॰एस॰ कर्मियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना स्वीकार करने या नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प चयन करने हेतु अपनाए जाने वाले प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश

----

1. कर्मियों द्वारा किये जानेवाले कार्य

I. पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करने वाले कर्मी Employee Portal में Login करके शपथ पत्र का प्रारूप Annexure-I Download करेंगे एवं उक्त विहित प्रारूप में शपथ पत्र तैयार कर पुनः Employee Portal में Upload करेंगे तथा इसकी मूल प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बाहय् सेवा में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के कर्मी के मामले में भविष्य निधि निदेशालय के नोडल पदाधिकारी के समक्ष जमा करेंगे ।

II. पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करने वाले कर्मी इसके साथ ही Employee Portal में Login करके भविष्य निधि संख्या आवंटन हेतु आवेदन एवं Nomination Form को Online भरेंगे एवं उसका प्रिन्टआउट निकाल कर स्वहस्ताक्षरित करके पुनः Upload करेंगे । इसकी Hard Copy निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बाहय् सेवा में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के कर्मी के मामले में भविष्य निधि निदेशालय के नोडल पदाधिकारी के समक्ष जमा करेंगे ।

III. नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प चयन करने वाले कर्मी Employee Portal में Login करके शपथ पत्र प्रारूप Annexure II Download करेंगे एवं उक्त विहित प्रारूप में शपथ पत्र तैयार कर पुनः Upload करेंगे तथा इसकी मूल प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बाहय् सेवा में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के कर्मी के मामले में भविष्य निधि निदेशालय के नोडल पदाधिकारी के समक्ष जमा करेंगे ।

2- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किये जानेवाले कार्य

I. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भविष्य निधि निदेशालय के नोडल पदाधिकारी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प का चयन करने वाले कर्मी के द्वारा दिये गये भविष्य निधि संख्या आवंटन हेतु आवेदन एवं Nomination Form को भविष्य निधि निदेशालय/जिला भविष्य निधि कार्यालय भेजने के दौरान दोहराव से बचने हेतु अनुरोध अग्रसारित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कर्मचारी का प्रोफाईल विवरण जैसे जन्म तिथि, नियुक्ति की तिथि, पैन नं॰ इत्यादि अद्यतन कर लिया गया है ।

II. शपथ पत्र Upload करने वाले कर्मचारियों की सूची संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के समक्ष उपलब्ध रहेगी ।

III. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त सूची से पुरानी पेंशन योजना का विकल्प का चयन करने वाले एक-एक कर्मचारी के जी॰पी॰एफ॰ संख्या आवंटित करने संबंधी आवेदन एवं Nomination Form को संबंधित जिला भविष्य निधि कार्यालय (प्रोजेक्ट भवन अथवा डोरण्डा कोषागार से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सीधे भविष्य निधि निदेशालय, राँची) को अग्रसारित करेंगे ।

IV. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नई पेंशन योजना में बने रहने वाले कर्मियों की सूची भविष्य निधि निदेशालय/जिला भविष्य निधि कार्यालय को अग्रसारित करेंगे ।

V. वर्त्तमान PRAN No. भविष्य में IFMS के उपयोग हेतु सुरक्षित रखा जायेगा, परन्तु किसी भी प्रकार के कोषागार भुगतान हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा । OPS का चयन करने वाले कर्मियों के सभी प्रकार के एरियर का भुगतान GPF No के माध्यम से किया जायेगा ।

3- विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रधान द्वारा किये जानेवाले कार्य

I. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कर्मियों के द्वारा दी गयी Annexure I या Annexure II की छायाप्रति कर्मियों के स्थापना से संबंधित विभाग/कार्यालय को दिया जायेगा, जिसे संबंधित कर्मियों के सेवापुस्त में संधारित करते हुए अद्यतन प्रविष्टि करने की कार्रवाई विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान द्वारा किया जायेगा । वैसे पदाधिकारी जिनकी सेवापुस्त महालेखाकार कार्यालय द्वारा संधारित की जाती है, उनके मामले में Annexure I या Annexure II की प्रति माहालेखाकार कार्यालय को पैतृक विभाग/प्रशासनिक विभाग द्वारा अग्रसारित की जायेगी ।

II. दिनांक 01-09-2022 के पश्चात् होने वाले नई नियुक्ति पुरानी पेंशन योजना के तहत ही की जायेगी । विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान इससे संबंधित आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

4- भविष्य निधि कार्यालय द्वारा किये जानेवाले कार्य

I. संबंधित भविष्य निधि कार्यलय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन का ऑनलाईन संधारण करते हुए पुराने पेंशन हेतु आवेदन देने वालों के लिए आवेदित PRAN No. के विरूद्ध नया GPF No. जेनेरेट करेंगे । प्रस्तावित GPF No. का प्रारूप जिला कोड/राज्य कोड/विभाग कोड/सेवा कोड/क्रम संख्या (प्रारंभ में ''N'' जोड़ते हुए) जारी किये जायेंगे । नया GPF No. जेनेरेट होने के उपरांत एक पावती रसीद जारी किया जायेगा एवं SMS द्वारा कर्मी को सूचित किया जायेगा ।

II. बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के कर्मियों के मामलें में भविष्य निधि निदेशालय के पदाधिकारी उपरोक्त कार्य करेंगे ।

III. नई पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प चयन करने वाले कर्मियों के मामलों में नई पेंशन योजना संबंधित कार्य जारी रखेंगे ।

5- वित्त विभाग अंतर्गत PMU द्वारा किये जानेवाले कार्य

I. OPS में रूपांतरित कर्मचारी का विवरण कर्मचारी पोर्टल पर उपलब्ध कराने संबंधी आवश्यक कार्य करेंगे ।

II. उपरोक्त प्रक्रियाओं को लागू करने हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने संबंधी समस्त कार्य करेंगे ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 500 - 50